(ट) प्रतिनिुक्त/पुनर्ग्रहणाधिकार

95 (1) सार्वजनिक क्षेत्र में बोर्ड स्तरीय पदों पर चयनित तथा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में बोर्ड स्तर से निचले पदों पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखे जाने की नीति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बोर्ड स्तरीय पदों पर चयनित व नियुक्त व्यक्तियों के मामले में बोर्ड स्तर से निचले पदों पर ग्रहणाधिकार रखे जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा इस आधार पर विचार किया गया कि पी एस ई (एस) में इस संबंध में कोई समान नीति नहीं है। वर्तमान में प्रत्येक उपक्रम ऐसे मामलों में अपने नियमों और/या विशेष अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं। परिणामतः पी एस ई सात वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए ग्रहणाधिकारी रखने की अनुमति देते हैं, जबकि दूसरे पी एस ई ग्रहणाधिकार की किसी हालत में अनुमति नहीं देते हैं।

2. इस संबंध में अब यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों का उस स्थिति में ग्रहणाधिकार रखे जाने के मामले में एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए जब कोई कर्मचारी उसी या किसी अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में बोर्ड स्तरीय पद पर चयनित व नियुक्त हो जाता है। तद्नुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने बोर्ड स्तर से निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 3 वर्ष से अधिक समय के लिए ग्रहणाधिकार रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब वे उसी या अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पद पर चयनित या नियुक्त हो जाते हैं। ग्रहणाधिकार की अवधि 3 (तीन) वर्ष* बाद स्वयंमेव खत्म हो जाएगी। यह निर्णय पूर्वापेक्षी प्रभाव से लागू होगा।

3. सी पी एस ई इस नीति का समान रूप से अनुरूरण करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यथास्थिति संस्था के अंतर्नियमों के संबधित खंडों या सांविधिक निगम बनाने संबंधी अधिनियम के संगत उपबंधों के तहत, पी एस ई को उचित निर्देश जारी करें।

4. इसलिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे ग्रहणाधिकारी रखे जाने के संबंध में उपर्युक्त नीति को लागू करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी पी एस ई को संलग्न ड्राफ्ट (अनुलग्नक) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति डी पी ई को भेजी जाए।

(डी पी ई का 31 जनवरी, 1994 का का.ज्ञा. सं. 23(9)/93–जीएम।)

अनुबंध